

4087

14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 373318

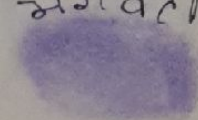


- | | |
|--------------------|--|
| स्टाम्प का कुल योग | — 17,000 /—रुपया। |
| दस्तावेज का प्रकार | — बैनामा रजिस्ट्री। |
| सम्पत्ति का प्रकार | — कृषि भूमि। |
| मौजा/परगना | — मौजा ग्राम करगुवा तहसील व जिला झाँसी। |
| आराजी नं0/रकवा | — खाता सं0 080 में आराजी नं0 251 रकवा 0-271 है0 कुल भूमि यानी उक्त नम्बरान मे सम्पूर्ण भाग व खाता सं0 078 मे आराजी नं0 254/1 रकवा 0-308 भूमि मे से 1/2 भाग यानी 0-154 है0 भूमि यानी मुकिर उक्त नम्बरान मे अपने सम्पूर्ण भाग को वय कर रहा है यानी मुकिर कुल 0-425 है0 भूमि को वय कर रहा है। |

हस्ताक्षर
श्रीमती शारदा देवी

श्रीमती शारदा देवी

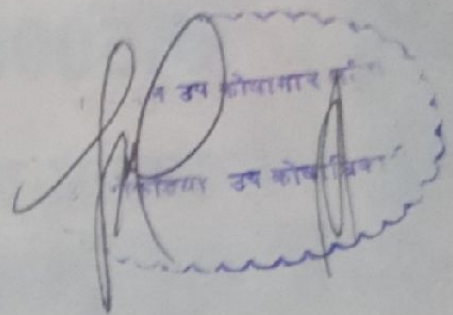
अल्पवयस्क



2938 2000 मशवरी पत्तली नदमिने
2-90-2006 सिव शिवाजी नगर
A.02



राज्य सरकार
कलकत्ता
सहस्रीय कोष
कोषी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 373319

(2)

- | | | |
|------------------------|---|---|
| सड़क की स्थिति | - | झाँसी-कानपुर सड़क से 500 मी० से अधिक दूरी पर एवं आबादी से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। |
| भूमि का मूल्यांकन | - | रेट लिस्ट क्रमांक 11-ड के अन्तर्गत 4,00,000/- रु० प्रति हैक्टेयर। |
| विक्रय मूल्य | - | 1,75,000/- रुपया। |
| बाजार कीमत | - | 2,10,000/- रुपया जिसमें भूमि की बाजार कीमत 1,70,000/-रु० से अधिक नहीं है व एक पक्का कुँआ जिसके 1/2 भाग की बाजार कीमत 40,000/-रु० से अधिक नहीं है। |
| प्रथम-पक्ष की संख्या | - | एक। |
| द्वितीय-पक्ष की संख्या | - | एक। |
| नाम व पता विक्रेता का | - | रामगोपाल उर्फ गुपाल पुत्र स्व० श्री पिन्ना उर्फ पिन्ने निवासी- ग्राम करगुवां तहसील व जिला झाँसी। |

रामगोपाल

रामगोपाल

21/11/2007 6/10/2007
 21/11/2007 6/10/2007

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये



Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 373320

(3)

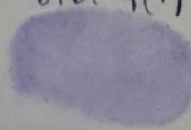
नाम व पता क्रेता का — श्रीमती भागवती देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर कुशवाहा
निवासी-149-बी0, शिवाजी नगर शहर व जिला
झाँसी।

सम्पत्ति का विवरण — आराजी भूमि स्थित मौजा ग्राम करगुवां तह0 व
जिलाझाँसी में है उक्त आराजी भूमि मौके पर राकर सोयम सिंचित एक फसली है
उक्त आराजी भूमि में कोई पेड़ आदि नहीं है उक्त आराजी भूमि में एक पक्का कुआ
है जिसके 1/2 भाग को वय किया गया है। उक्त आराजी भूमि का नक्शा दस्तावेज
के साथ संलग्न है जो बैनामा का अंश भाग है उक्त प्लॉट वक्फ ट्रस्ट व ग्राम सभा
की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी भूमि मुकिर की पैत्रिक सम्पत्ति है उक्त आराजी
भूमि पूर्णतया कृषकीय भूमि है व कृषि कार्य हेतु वय की जा रही है उक्त आराजी
भूमि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है उक्त आराजी भूमि किसी भी मार्ग पर स्थित
नहीं है। क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है विक्रीत आराजी भूमि की
चौहद्दी- पू0- खेत क्रेता, प0- खेत क्रेता, उ0- खेत क्रेता व द0- खेत क्रेता का
है।

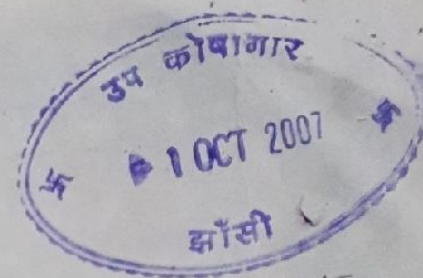
राज गोपाल



भागवती



2000 २१०५/१८
म-२४३५२६०
१२००० मं०
३



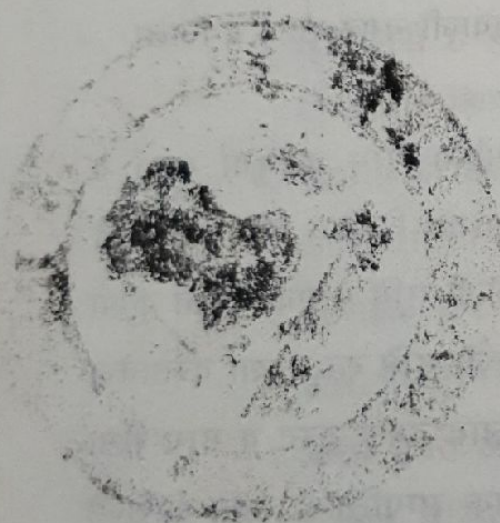
65

राज्य कृषि मंडल
कृषि विभाग
महसील कार्यालय
पेठ नं० - १

कायमस उप कोषागार

Book No. 33 लोकहित उष कोषाधिक

ग्राम करगुवां पर. व जिला झांसी
कृषि





(4)

जो कि मुक़िर उक्त आराजी भूमि का सम्पूर्ण रूप से तन्हा मालिक काबिज व अधिकारी है जो कही वय अथवा रहिन आदि नहीं है । यानी की हर प्रकार की जुम्लावार किफालत से पाक साफ व बरी है चूँकि मुक़िर को आवश्यक कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता है अतः मुक़िर उक्त आराजी भूमि उपरोक्त रकम में केता उपरोक्त को कतई तौर पर वय फरोक्त करते हैं कब्जा व दखल मालकाना उक्त आराजी भूमि पर आप केता को बखूबी आज की ही तारीख से दे दिया है केता उक्त आराजी भूमि में स्वयं खेती करे दीगर से कराये वय अथवा रहिन आदि करे यानी केता उक्त आराजी भूमि को अपने इस्तेमाल में जैसे भी लाना चाहे ला सकते हैं जिसमें मुक़िर व मुक़िरवारसान को कोई उज्र एवं एतराज नहीं होगा काश किसी कानूनी नुकश अथवा विवाद की वजह से उक्त आराजी भूमि का कुल अथवा जुज भाग कब्जा केता के हक से निकल जावे तो कुल रकम मय हर्जे व खर्चे के जुम्मेवार व देनदार मुक़िर व मुक़िरवारसान होंगे केता ने विकेता के पूर्ण रूप से मालिक होने एवं सम्पत्ति के निर्विवाद होने के प्रमाण देख लिये हैं और पूर्ण सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही केता एवं विकेता ने हस्ताक्षर किये हैं इस दस्तावेज का प्रारूप केता एवं विकेता द्वारा बतलाए गये तथ्यो के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गए

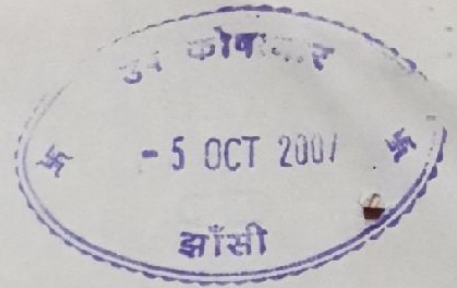
राजगोपाल



मंगल



उप कोषागार, झांसी
क्रमांक ४५४६
दिनांक १०-१०-०७
नाम श्री नन्द किशोर कुशवाहा
पता १४९-बी. शिवाजी नगर झांसी
५-१०-०७
जय गोकुलदास, झांसी



क्रेता

३५५

Registration No. 4087

Year : 2007

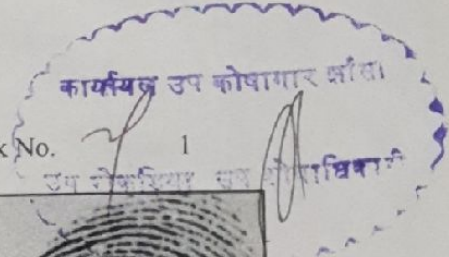
Book No. 1

0201 भगवती देवी

पत्नी श्री नन्द किशोर कुशवाहा

१४९-बी. शिवाजी नगर झांसी

गृहिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

750548

नक्शे के आधार पर एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल महोदय द्वारा दी गई आख्या के आधार पर एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय झोंसी द्वारा प्रदान किये गये भू-राजस्व प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं फोटो ग्राफर द्वारा मौके के खींचे गये चित्रों के आधार पर तैयार किया गया है स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है मूल्यांकन सम्बन्धी कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके जुम्मेवार केता ही होंगे शासन आदेशानुसार महिला क्रेता को दी गई छूट के अन्तर्गत 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है लिहाजा जरे सम्मन कुल विक्रय मूल्य समक्ष श्रीमान सब-रजिस्ट्रार साहब प्राप्त कर यह बैनामा स्वेच्छा पूर्वक पूर्ण होश व हवाश के बगैर किसी दवाब के सोच व समझकर तहरीर कर दिया है की सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

शमशो पाल



मगवती

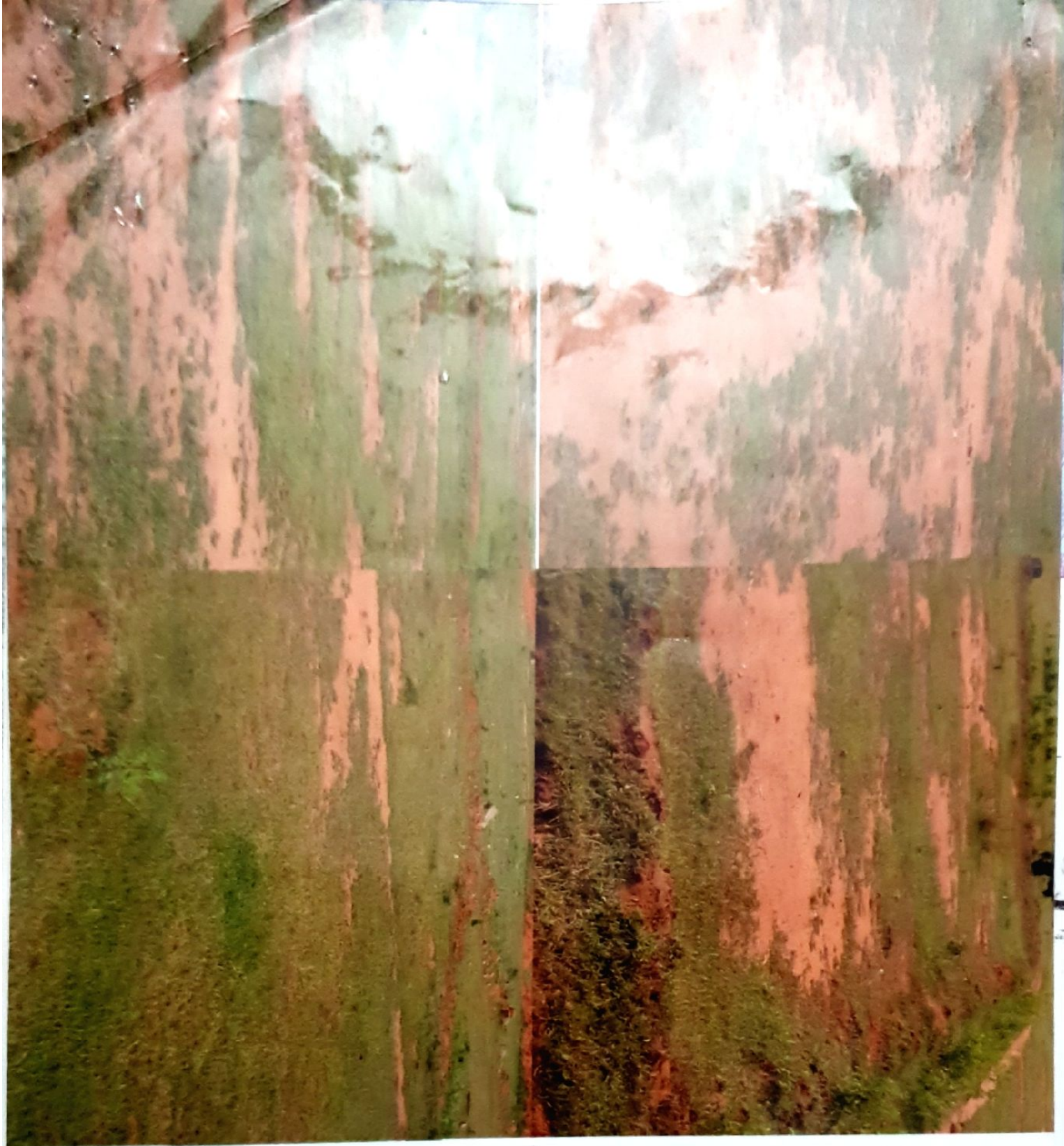


उप कोषाध्यक्ष, कोली
 8467
 520 40 0000
 नाम श्री श्री मराठवाडा न. 5 लिमिटेड
 बताना 12. 10. 07 न. 5
 8107
 न. 5 लिमिटेड, कोली

उप कोषाध्यक्ष
 - 5 OCT 2007
 कोली



11/10/07



कमांक नः...००५...
रजि० वास्ते

एक किता खेत

स्थित मौजा कुरगुवा

नाम विकेता श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल

नाम केता श्रीमती आगवती देवी

चौहादी

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

रामगोपाल

आगवती

विकेता

केता

५/१०/०७

५.१२.००५

समाट स्टुडियो

१९ अलीगोल, झॉसी
मो. ९४१५५८८८३४

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

750547

(6)

- दिनांक - 06.10.2007 ईस्वी ।
- प्रारूपकर्ता - लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एडवोकेट तहसील झाँसी।
- टाईपकर्ता - गीतेश कुमार कनौजिया तहसील झाँसी।

हस्तुत प्रमाण के निष्पादन का सत्यापित चिह्न

श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा

पेशा एडवोकेट

निवासी झाँसी के द्वारा प्रस्तुत है

श्रीमती गोपाल देवी

साक्षी- (1) लक्ष्मण प्रसाद शर्मा

साक्षी- (2) प्रेमनारायण / गोपाल दाम
भैरव कालेज करगुना

उप कोषाधिकारी, झोंसी
8488
नाम श्री श्री कृष्ण चंद म. नर. मिश्रा
पता श्रीवा. श्री नर. मिश्रा
57-2
उप कोषाधिकारी, झोंसी



आज दिनांक 06/10/2007 को
वही सं 1 जिल्द सं 3324
पृष्ठ सं 333 से 348 पर क्रमांक 4087
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

श्रवण कुमार पुरवार
उपनिबंधक प्रथम
झोंसी
6/10/2007

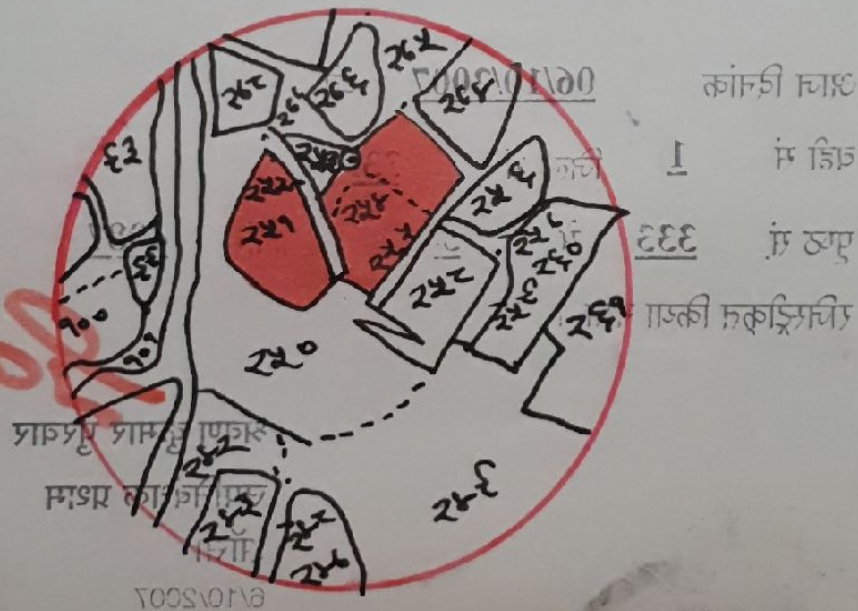


नाम श्री श्री कृष्ण चंद म. नर. मिश्रा
उपाध्याय लक्ष्मण लाल मीरा
गाड 6-21/7-8 धारा उपलब्ध
तांके 13-11-2007
पंजीकृत
21/11/07

उप कोषाधिकारी, झोंसी
रजिस्ट्रीकृत किया गया

नक्शा-नजरी

बिक्रेता का नाम श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
 क्रेता का नाम श्री मही आगवती देवी सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र
 मौजा खरगुवा 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)
 तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।
 भूमि नम्बर 221, 225/1



श्री राम गोपाल

श्री मही देवी

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

MOHD. KAMRAN KHAN
 I.D. NO. 11111
 CH. NO. 11111
 L. NO. 11111